

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- श्री धीरेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :- 55/2021

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. मिरगों पुत्री मदा पत्नि बागाराम रथाई निवासी मिठडा खुर्द अभि हाल हरदानपुरा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।		1. जुंजाराम पुत्र श्री अचलाराम 2. बाबुराम पुत्र अचलाराम 3. हिमथाराम पुत्र अचलाराम 4. खेतु बैवा अचलाराम जाति जाट निवासी मिठडा खुर्द नया राजस्व गांव लोलो कीबेरी तहसील धोरीमना। 5. जोधा पुत्र खेराजराम 6. लुम्मा पुत्र खेराज 7. हुकमा पुत्र खेराज 8. हरखू पत्नी खेराज 9. हरिया देवी पत्नी अशोककुमार 10. ठाकरा पुत्र रूखमणा 11. भैरा पुत्र रूखमणा 12. मेघा पुत्र रूखमणा जाति जाट निवासी भारते की बेरी, खारी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर। 13. तहसीलदार साहब धोरीमना।

प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, 10 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते
वाद पत्र नामंजूर करने
राजस्व वाद धारा 88, 40, 53, 91, 188, 209 रा. का. अधिनियम 1955

वाद तारीख रजु: 26.08.2021

अधिवक्तागण:-

- श्री बलवन्तसिंह चौधरी अधिवक्ता वादीनी/ अप्रार्थनी
- श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 / प्रार्थी

-:निर्णय:-


दिनांक: 14.05.2024

वादीनी ने न्यायालय हाजा में राजस्व वाद धारा 88, 40, 53, 91, 188, 209 रा. का.
अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार से है कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण
1 से 4 हिन्दू विधि से प्रशास्ति होने से निम्न वंशावली है



सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना





वादीनी एवं प्रतिवादीगण 1 से 4 पैतृक एवं सहदायिकी सयुक्त खातेदारी भुमी सैटलमेंट के गांव खारी नया राजस्व गांव भारते की बेरी तहसील धौरीमना में खसरा सं. 160, 161 कमश रकबा 0.2023 व 22.6624 कुल रकबा 22.8647 हैक्टर स्थित हैं। जिसमें वादीनी कि पैतृक भुमी में 1/4 हिस्सा 5.5781 हैक्टर अर्थात 35 बिधा 07 विस्वा भुमी पर कब्जा काश्त से व हक हकुक उत्पन्न होने से मदा की वैध वारिस व हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 के अन्तर्गत होने से घोषित करवाने की वैध अधिकारिणी हैं। उपरोक्त वंशावली के अनुसार वादी एव प्रतिवादी 1 से 4 का वादगस्त खेतों में 1/2 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादीगण 5 से 12 का 1/2 हिस्सा के हक हकुंक हैं किन्तु वादीनी ने प्रतिवादीगण 5 से 12 के 1/2 हिस्से मे से कोई अनुतोष नही चाहा हैं इसलिए वादगस्त भुमी के सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। वादगस्त खेतों में वादीनी एवं प्रतिवादीगण 1 से 4 हिन्दू विधि से प्रशास्ति होने से सैटलमेंट के समय यानि 15.10.1955 को खतौनी बन्दोबस्त में वादीनी के नाना मदा पुत्र पन्ना का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 से 4 के पुत्र व पति अचला पुत्र मोटा के नाम वैध 1/4 हिस्सा का प्रचा लगान जारी हुआ था 1975 में मदा को फौत बताकर मेरी माता हेमी पत्नि बागा 1/4 हिस्सा नामान्तकरण सं. 133 पारित किया गया उसके बाद जमाबंदी सवत् 2034 से 2037 में मेरी माता का नाम यथावत रहा और 1984 में मेरी माता फौत हुई तब पटवारी हल्का ने नामान्तकरण, सं. 226 के द्वारा मेरा व मेरी बहन चनणी पुत्री बागा के नाम नामान्तकरण पारित किया गया किन्तु 1984 में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण 226 पारित करते समय कथा-कथित वसियतनामा का कोई इन्द्राज नही किया हैं और प्रतिवादीगण 1 से 4 तक के कर्ता खानदान अचला पुत्र मोटा व सरपच खारी ने मिलकर कथा-कथित वसियतनामा नामान्तकरण संख्या 226 में इन्द्राज कर मेरा व मेरी बहन चनणी का नाम हटा दिया गया जो इन्द्राज वादी के लिए प्रभावहीन व बेअसर होने से घोषित



✓
सहायक कलक्टर
(SDO) धौरीमना

कराने की अधिकारिणी है। वादगस्त भुमी में वादीनी का 1६४ हिस्सा सम्पूर्ण विधि विला प्रतिवादी 1 से 4 के कर्ता खानदान ने हटा कर राजस्व दस्तावेज जमाबंदी 43 से 46 में प्रतिवादीगण 1 से 4 के मुख्या अचला पुत्र मोटा ने 1६२ हिस्सा सवत् 2071 से 2074 व चालु जमाबंदियों में पैतृक भुमी नही होते हुए भी दुरभि सन्धि से विधि विरुध राजस्व दस्तावेजो में इन्द्राज कराया उसे बेअसर घोषित करवाकर उक्त खेतों में 1६४ हिस्सा पैतृक व हेमी की वैध वारिसान होने से वोषित करवाने की अधिकारिणी हूँ। वादगस्त खेतो का वसियतनामा मेरी माता हेमी ने अचला के पक्ष नं न लिखित किया और न ही पंजीयन करवाया था मैं बाल्यांअवस्था से लेकर भरी माता जीवित रही और उसके बाद मेरी माता की मत्यु होने तक उसके साथ मिठड़ा व खारी में रहती थी और उसकी सेवा चाकरी करती थी। किन्तु विधि विरुध सरपंच खारी व प्रतिवादीगण 1 से 4 के कर्ता खानदान अचला ने राजस्व दस्तावेज मे रदोबदल किया और मेरी पैतृक सारी भुमी हड़प कर राजस्व दस्तावेज में गलत इन्द्राज करवाया जो मेरे लिए प्रभावहिन होने से हेमी की प्रथम वर्ग की वारिस होने के कारण वादगस्त खेतों में प्रतिवादी 1 से 4 के 1६२ हिस्सा में से 1६४ हिस्सा यानि 35 बिघा 7 विस्वा भुमी अर्थात 5.5781 हैक्टर पर कब्जा काशत घोषित करवाने की उत्तराधिकारिणी हूँ। वादगस्त खेत मौजा खारी नया गांव भारते की बेरी खसरा सं. 160, 161 कुल रकबा 22.8647 हैक्टर का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधिन रहे तब तक उक्त राजस्व दस्तावेजो में रदोबदल नही करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे और वादीनी की पैतृक भुमी के कब्जा काशत से बेदखल नही करे और न ही उक्त भुमी को बेचान व बैंकों को रहन रखे इस आशय की वादीनी के पक्ष में प्रतिवादीगण 1 से 4 के खिलाफ अस्थाई व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। वादगस्त खेत खसरा सं. 160, 161 मौजा भारते की बेरी तें. धोरीमन्ना कुल रकबा 22.8647 हैक्टर में 1६४ हिस्सा वादीनी की घोषणा के बाद 5.5781 हैक्टर अर्थात 35 बिघा 07 विस्वा भुमी का विभाजन किया जावे। और विधि से भुमीपति तहसीलदारसाहब को पक्षकार बनाया गया हैं किन्तु भुमीपति से वादीनी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं इसलिए 80 सी.पी.सी का नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। बिनायदावा प्रतिवादीगण के कर्ता खानदान अचला ने हमारी बिना सहमति खसरा नं. 160 व 161 के राजस्व दस्तावेजो मे बिना कानुनी प्रकिया अपना कर हमारे नाम हटाया और उक्त खेतो 1/4 हिस्से की भुमी से बेदखल कर अन्य काशत कार को बेचान करने की एलानिया धमकी दी तब आज से 20 रोज पूर्व बमुकाम भारते की बेरी तें. धोरीमना में पैदा हुआ। वादगस्त भुमी मौजा भारत की बेरी तें धोरीमना में



स्थित होने से सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने से ये वाद पेश हैं। वादगस्त भुमी की बलिमत किमत विधि से सही हैं किन्तु वादीनी ने उक्त खेतों में धारा 88,40, 53, 91,

✓
सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

188, 209 रा. का. अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अनुतोष गागने से मुद्रांक 6 रु पेश हैं। वादीनी की प्रार्थना है की निम्नांकित डिग्री वादीनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ सादिर फरताई जावें। (क) वादीनी की पैतृक व सहदायिकी भुमी सैटलमैन्ट गाव खारी नया गांव भारते की बेरी खसरा स. 160, 161 रकबा 22.8647 हैक्टर में 1/4 से कुल रकबा 5.5781 हैक्टर पर अर्थत 35 बिघा 7 विस्वा से घोषित की जावे। (ख) कि वादग्रस्त खेतो का 1984 में मेरी माता फौत होने पर बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाये कथाकथित वसीयतनामा से नामान्तकरण संख्या 226 को पारित किया वो प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जावे। (ग) कि वाद के विचारण के बाद यादीनी की उक्त खेतो में पैतृक व वैध वारिस होने से 1/4 हिस्से की घोषणा के बाद विभाजन किया जावे। (घ) कि सक्षम न्यायालय मे वाद चले तब तक खसरा स. 160/161 मौजा भारते की बेरी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावथ स्थिति त्खे तथा रहन व बेचान नही करें इस आश्य के वादीनी के पक्ष में प्रतिवादीगण 1 से 4 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। (ङ) कि वादग्रस्त खेतो मे वादीनी के पक्ष मे घोषणा के बाद विधि से राजस्व दरथावेजो में संशोधन किया जावे। (च) कि अन्य सहायथा वादीनी के पक्ष में प्रतिवादीगण 1 से 4 के खिलाफ वाद के विचारण के बाद प्रमाणित हो वो धारा 209 रा. का. अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिलाई जावे। (छ) कि वाद का विधि से हर्जाना व खर्चा रूपये 50 हजार दिलाया जायें का वाद पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी तय की गई।

प्रतिवादी संख्या 01 के ओर से वकील श्री देवाराम चौधरी वकालातनामा पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।


प्रतिवादी संख्या 01 ने एक प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते वाद पत्र नामंजुर करने का इस प्रकार से पेश किया कि श्रीमान न्यायालय हाजा में एक राजस्व वाद संख्या 55/2023 अनवान मिरगों बनाम जुंजाराम व अन्य के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88,40,53,91,188,209 रा0 का0 अधिनियम वास्ते घोषणा बंटवारा एवं निषेधाज्ञा का पेश किया हैं जो विचाराधीन है। जिसकी तारीख पेशी आज है। वादग्रस्त आराजी तहसील धोरीमना के पटवार मण्डल खारी गांव भारते की बेरी तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 160, 161 क्रमशः 0.2023, 22.6624 कुल रकबा 22.8647 हेक्टेयर स्थित हैं जिसमें 1/4 हिस्सा की घोषणा चाही गई। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में क्षेत्राधिकारी प्राप्त उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक नामान्तकरण की अपील पेश की थी जो इसी खसरों के हक के लेकर वादीनी ने इस्तदुआ चाही गई थी। वादीगण द्वारा वाद पत्र के पद संख्या 09 में "बिनायदावा प्रतिवादीगण के कर्त्ता खानदान से हमारी बिना सहमति खसरा नम्बर 160 व 161 के राजस्व दस्तावेजों में से



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) धोरीमना



बिना कानूनी प्रक्रिया अपना कर हमारा नाम हटाया और उगत खेतों का 1/4 हिस्से की भूमि से बेदखल कर अन्य काश्तकार को बेघान करने की एलानियां धमकी दी तब आज से 20 रोज पूर्व बयकाम भारत की बेसी तहसील धौसीमना में पैदा हुआ है जबकि वादीनी द्वारा तत्कालीन क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के खेतों के सम्बन्ध में नामान्तरण की अधील पैश की थी जो अधील वादीनी ने दिनांक 09.08.1984 को अधील विर्जे करा दी गई थी वादीनी स्वयं ने अधील विर्जे की है साथ 1984 को अधीन विर्जे का प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिला व प्रतिवादी संख्या 04 के प्रतिवादी संख्या 04 के पिला अवलाराम पुत्र मोटाराम के पक्ष में तर्क कर दी है इसलिए वादपत्र में वर्णित वाद हेतुक (बिनायदावा) पैदा नहीं होने से वाद चलने योग्य नहीं है वाद खरीज योग्य है। वादीनी ने तथ्य छिपाकर धन ऐठने के लिए हस्तगत वाद पैश किया है अधील, ईकरारनामा, वसीयतनामा आदि का हवाला नहीं दिया गया है इसलिए वाद हेतुक गलत तथ्यों के आधार पर चलाने से वाद चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी वादीनी विरगौदवी पत्नी वागाराम पत्नी कलाराम जाति जाट निवासी बिसारगिया स्वयं ने दिनांक 09.08.1984 को जरिये ईकरारनामा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिला व प्रतिवादी संख्या 04 के पिला अवलाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मीठडा के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक का तर्क कर दिया। बिना ईकरारनामा निरस्त माननीय न्यायालय में वाद लाने का अधिकार वादीनी को नहीं है सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का होने से हस्तगत वाद चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण भूमि पत्नी पत्नी वागाराम हिन्दू महिला के नाम से थी जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 - हिन्दू नारी की सम्पत्ति आसी आत्यन्तकतः अपनी सम्पत्ति होने की जो स्वःअर्जित की श्रेणी में आती है इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादीनी की पैतृक व पुत्रीनी नहीं है। महिला से स्वःअर्जित सम्पत्ति प्राप्त में किसी भी अधिकार नहीं है इसलिए हस्तगत वाद




न्यायालय में मौखिक निवेदन किया जायेगा। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादीनी से खर्च दिलवाते हुए वाद- हेतुक (बिनायदावा) प्रकट नहीं होने, वाद पत्र न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार व अधिकारिता का नहीं होने से वादीनी के वाद को नामंजूर करने का आदेश फरमाया जावे। का पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।

वादीनी/अप्रार्थीया के वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी वारते वाद पत्र नामंजूर करने का प्रस्तुत किया जिसका बिन्दुवार जवाब वादीनी की ओर से निम्नानुसार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 02 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है जवाब यह है कि वादीनी द्वारा कभी भी किसी भी न्यायालय में अपील पेश नहीं की थी मात्र काल्पनिक एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 04 आंशिक स्वीकार है तथा जवाब यह है कि वादीनी द्वारा कभी भी किसी भी न्यायालय में अपील ही पेश नहीं की, विद्वा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथाकथित ईकरारनामा से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 4 के पिता पति के पक्ष तर्क कर दी है परन्तु विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी ईकरारनामा से कोई खातेदारी अधिकार नहीं सृजित होते है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र निराधार होने से काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 05 गलत है जवाब यह है कि प्रार्थी द्वारा तथाकथित अपील, ईकरारनामा, वसीयतनामा ही नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेजात फर्जी तैयार कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 06 गलत होने से अस्वीकार है जवान यह है कि प्रार्थी द्वारा तथाकथित ईकरारनामा दिनांक 09.08.1984 बताया गया है उक्त ईकरारनामा ही विधि सम्मत नहीं है क्योंकि ईकरारनामा से कोई खातेदारी अधिकार ही नहीं मिलता है ऐसी स्थिति में ऐसा ईकरारनामा विधि अनुसार शून्य है तथा जो दस्तावेज प्रारम्भ से शून्य है उक्त दस्तावेज को कहीं शून्य घोषित करवाने की आवश्यकता ही नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र भी खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 07 गलत होने से अस्वीकार है जवाब यह है कि वादग्रस्त आराजी वादीनी के दादा मदा के नाम से वक्त सेटलमेन्ट पैमाईस हुई थी, इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक है और पैतृक सम्पति में वादीनी का हक हिस्सा होने से उक्त वाद से वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी होने से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 08 गलत होने से अस्वीकार है

जवाब यह है कि तथाकथित वसीयत वादीनी की माता स्व. हेमी द्वारा कभी भी लिखत




सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

नहीं की है ऐसी वसीयत काल्पनिक एवं मिथ्या तैयार कर वादीनी का हक हिस्सा हड़पने की नियत से ही तैयार की गई, ऐसे दस्तावेज प्रारम्भ में ही शुन्य है जो शुन्य दस्तावेज को कहीं पर निरस्त करवाने की आवश्यकता ही नहीं है ऐसा विधि में सुस्थापित सिद्धान्त है ऐसे स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 09 गलत होने से अस्वीकार है जवाब यह है कि वादीनी ने अपने पैतृक सम्पत्ति में हक हिस्सा घोषित करवाने के लिए उक्त वाद न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया है। अन्य वजुहात वक्त बहस अर्ज किये जायेगे। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादीनी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र विधि एवं तथ्यों का मिश्रित समावेश होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। जो सामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की विस्तारपूर्वक सुनी गई।

प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 01 के वकील ने निवेदन किया कि वाद में वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है क्योंकि वादीनी स्वयं ने वाद के पैरा संख्या 04 में कहा कि 1984 में वादीनी के माता फौत होने से वादीनी के नाम नामान्तकरण संख्या 226 दर्ज किया गया है जो बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाये पारित कर दिया का हवाला दिया हैं जबकि वादीनी स्वयं ने नामान्तकरण संख्या 226 में अपील तत्कालीन क्षेत्राधिकार प्राप्त श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में अपील संख्या 89/1984 बअनवान मिरगों बनाम अचलाराम व अन्य को दर्ज करवाई थी। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न है। उस अपील का निरस्तारण कर दिया गया अपील वादीनी स्वयं ने खारीज करवाई थी। जिसका वाद पत्र में वर्णन नहीं किया हैं इसलिए वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से वाद खारीज किया जावें। वादीनी स्वयं में ईकरारनामा के जरिये अपना सम्पूर्ण हक प्रतिवादी संख्या 01 के पिता के पक्ष में लिख कर दिया है। वादीनी की माता ने प्रतिवादी संख्या 01 के पिता के पक्ष में वसीयत नामा लिख कर दिया है। वाद विधि द्वारा वर्जित होने से वाद खारीज योग्य हैं वादीनी का किसी प्रकार का कब्जा काशत नहीं हैं। बिना कब्जे वाद चलने योग्य नहीं हैं। वाद रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में आने से खारीज योग्य है।

वादीनी वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हुए तो पढे नहीं जावेंगे। वादीनी से किसी प्रकार की अपील पेश नहीं की हैं। न ही किसी प्रकार के ईकरारनामा में लिख दिया हैं वाद में हेतुक प्रकट होता है। इसलिए वाद माननीय न्यायालय में चलने योग्य है। वाद में साक्ष्य के दौरान यह पढा जाएगा। वसीयतनामा व इकरारनामा इस स्टेज पर पढें जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र पर वाद



सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

खारीज नहीं किया जा सकता है वाद गुणावगुण पर निर्णित किया जाए प्रार्थना पत्र खारीज किया जाए।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीनी/अप्रार्थीया द्वारा माननीय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर की नजीर 2024 (1)DNJ (Rev.) 52, 2023 (1)RRT 352, 2023 (1)RRT 372 पेश की, हमने उपर्युक्त नजीर का ससम्मान अध्ययन करते हुए इसे मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में उपयोग किया।

हस्तगत वाद में वाद पत्र, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत प्रमाणित अपील मीमो की प्रति, ईकरारनामा, वसीयतनामा आदि दस्तावेजों का गहना से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी - वाद पत्र का नामंजूर किया जाना - के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिन दशाओं में मंजूर किया जा सकता है वे हैं -

- (क) वाद हेतुक को प्रकट नहीं किया गया हो,
- (ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।
- (ग) वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया हो,
- (घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो,

1. (क) वाद हेतुक (वाद कारण) - वादीनी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 09 में बिनायदावा /वाद हेतुक/ वाद कारण बताया गया "बिनायदावा प्रतिवादीगण के कर्त्ता खानदान अचला ने हमारी बिना सहमति खसरा नम्बर 160 व 161 के राजस्व दस्तावेजों में से बिना कानुनी प्रक्रिया अपना कर हमारा नाम हटाया और उक्त खेतों का 1/4 हिस्से की भूमि से बेदखल कर अन्य काश्तकार को बेचान करने की एलानियां धमकी दी तब आज से 20 रोज पूर्व बमुकाम भारते की बेरी तहसील धोरीमना में पैदा हुआ" का वर्णित किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 कहता है "वादीनी द्वारा तत्कालीन क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के खेतों के सम्बन्ध में नामान्तरण की अपील पेश की थी जो अपील वादीनी ने दिनांक 09.08.1984 को अपील विद्धो करा दी गई थी वादनी स्वयं ने अपील विद्धो की हैं साथ सही ईकरारनामा के जरिये सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति स्व0 अचलाराम पुत्र मोटाराम के पक्ष तर्क कर दी है इसलिए वादपत्र में वर्णित वाद हेतुक (बिनायदावा) पैदा नहीं होने से वाद चलने योग्य नहीं हैं वाद खारीज योग्य



सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमना

है।" प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में पैरा संख्या 04 जबाब वादीनी ने कहा " वादीनी द्वारा कभी भी किसी भी न्यायालय में अपील ही पेश नहीं की, विद्गो का प्रश्न ही पैदा नहीं होता" प्रार्थी वकील में श्रीमान् जिला कलेक्टर कार्यालय बाड़मेर रेकर्ड विभाग से प्रतिलिपी क्रमांक 526 में अपील संख्या 89/1984 पेश की - जिसमें अपील खिलाफ नामान्तकरण संख्या 226 तारीख 22.02.1984 ग्राम पंचायत खारी हसब दफा 75 रा0 भू0 राज0 अधि0 की पेश की जो दिनांक 16.07.1984 को उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में दर्ज हुई। वादग्रस्त आराजी ग्राम खारी के खसरा संख्या 161, 160 का पैरा संख्या 01 में वर्णन किया गया है। अपील में वादीनी स्वयं ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार " अर्ज एक अपीलान्ट मिरगा पुत्री बागाा का यह है :- 01 कि अनवान सदर के मुदय में गांव वालो ने हमें आपस में राजीबाजी कर दिया हैं एंव जो म्युटेशन मेरी माँ के करने के बाद में अचला पुत्र मोटा के नाम से जो भरा हैं वो कायम रखा जावें मेरी माँ ने अचला पुत्र मोटा के हक में जो खेत वसीयत किये हैं उन कब्जा अचला का ही है। अतः मैं अपील अपील को अब आगे नहीं चाहती हूँ अतः अपील जरिये विद्गोवल के खारिज फरवाई जावें।" जो वादीनी स्वयं ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में दिनांक 09.08.1984 में पेश की गई थी। न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.1984 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील निर्णित कर खारिज कर दी गई।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि वादीनी को वाद कारण नामान्तकरण अपील के समय दिनांक 16.07.1984 को हो गया। वाद सन् 2021 में वाद पेश किया हैं जो वाद करीबन 37 वर्ष बाद पेश किया हैं वाद में बिना सहमति नामान्तकरण पारीत होने की बात गलत अंकित हैं क्योंकि बाद में सहमति से नामान्तकरण अपील को विद्गो की है। वाद में अपील का हवाला नहीं दिया है। इसलिए वादीनी को हस्तगत वाद लाने हेतुक प्रकट नहीं होता है तथा वाद चलने योग्य नहीं है।

2. (घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, - उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादीनी मिरगोदेवी पत्नी वागाराम पत्नी कलाराम जाति जाट निवासी बिसारणिया स्वयं ने दिनांक 09.08.1984 को जरिये ईकरारनामा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति स्व0 अचलाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मीठड़ा के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक का तर्क कर दिया। तथा वादीनी की माता हेमी पत्नी वागाराम जाति जाट निवासी मीठड़ा खूर्द ने दिनांक 30.03.1983



✓
सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

को जरिये वसीयत प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति स्व0 अचलाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मीठड़ा के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक वसीयत के जरिये दे दिया है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि ईकरारनामा व वसीयतनामा निरस्त करवाये बिना हस्तगत वाद हाजा में चलने योग्य नहीं हैं इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं। वाद हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है, वाद सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकारी का आता हैं वाद चलने योग्य नहीं है।

3. वादग्रस्त आराजी का कब्जा - वादग्रस्त आराजी में वादीनी का कब्जा काशत नहीं हैं वादग्रस्त आराजी में वादीनी स्वयं ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में अपील संख्या 89/1984 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.08.1984 में कब्जा अचला का ही है, वसीयत में वादीनी के माता हेमीदेवी द्वारा कब्जा अचलाराम को सुपुर्द कर दिया, वादीनी स्वयं ने ईकरारनामा के जरिये कब्जा अचलाराम का वर्णित करती हैं। कब्जा प्रतिवादीगण का 37 वर्ष से अधिक समय से हैं कब्जा प्राप्ति की अवधि 12 वर्ष से अधिक समय हो गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि वादीनी का मौके पर कब्जा काशत नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

4. हस्तगत वाद में धारा 11 सीपीसी वास्ते पूर्व-न्याय (Res-judicata) के सम्बन्ध में सर्वप्रथम हम धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का अवलोकन करना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं :-

"कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य- विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और हारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका हैं और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।"




सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

रेस- ज्यूडिकेटा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं :-

01. दो वादों या विवादकों का होना आवश्यक :- एक पूर्ववर्ती एवं एक पश्चात्वर्ती।
02. पूर्ववर्ती और पश्चात्वर्ती वाद या विवादकों में विषय वस्तु / विवादक / अनुतोष का समान होना।
03. पक्षकारों का समान होना या समान पक्षकारों के प्रतिनिधि समान होना।
04. न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद निर्णित कर दिया हो।
05. पूर्ववर्ती वाद को निर्णित करने वाला न्यायालय, पश्चात्वर्ती वाद में मांगे गए अनुतोष को प्रदान करने में सक्षम हो।

हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में सर्वप्रथम हम अधिवक्ता प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 89/1984 की पत्रावली, अपील, प्रार्थना पत्र, निर्णय का अध्ययन / अवलोकन करना उचित समझते हैं :-

प्रकरण संख्या 89/1984 अपील खिलाफ नामान्तकरण संख्या 226 तारीख 22.02.1984 ग्राम पंचायत मीठड़ा खूर्द हसब दफा 75 रा0 भू0 राज0 अधि0 की पेश की जो दिनांक 16.07.1984 को उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में दर्ज हुई। प्रकरण में अपीलान्त मिरगो पुत्री मदाराम पत्नी बागाराम है। प्रतिवादी/ उत्तरदाता के रूप में अचलाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मिठड़ा खूर्द पक्षकार व अचलाराम के खिलाफ इस्तदुआ चाही थी। अनुतोष- वादग्रस्त आराजी ग्राम खारी के खसरा संख्या 160, 161 में अपीलान्त मिरगों के नाम करवाने का था। व नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 22.02.1984 को निरस्त करते हुए अपीलान्त के नाम हिस्सा का म्युटेशन भरा जावें। उपर्युक्त प्रकरण संख्या 89/ 1984 का निर्णयन/आदेश तत्कालीन क्षेत्राधिकारी प्राप्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 13.09.1984 को किया गया।

अब हम हस्तगत (पश्चात्वर्ती) प्रकरण /वाद संख्या 55/2021 का अध्ययन करना उचित समझते हैं :- हस्तगत प्रकरण/ वाद संख्या 55/2021 के अध्ययन से स्पष्ट हैं कि उक्त वाद हाजा न्यायालय में सन् 2021 को संस्थित किया गया। हस्तगत (पश्चात्वर्ती) प्रकरण/वादपत्र में वादीनी के रूप में मिरगो पुत्री मदा पत्नी बागाराम हैं तथा प्रतिवादी के रूप में अचलाराम के वारिशान प्रतिवादी संख्या 01 से 04 जुंजाराम, बाबुराम, हिमथाराम पि0 अचलाराम, खेतु बैवा अचलाराम पक्षकार है।



हस्तगत (पश्चात्वर्ती) प्रकरण/वादपत्र का मुख्य अनुतोष ग्राम मीठड़ा खूर्द 161, 160 में कब्जा काश्त होने से घोषित की जावें/ वादीनी के

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

नाम नामान्तकरण किया जावें। तथा नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 22.02.1984 को पारित किया वो प्रभावहीन व बैअसर घोषित किया जावें, का है।

इस प्रकार पूर्ववर्ती प्रकरण /अपील 89/1984 एवं हस्तगत(पश्चात्पूर्ती) वादपत्र वाद संख्या 55/2021 की तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हैं कि :- उपर्युक्त दोनों प्रकरणों में पक्षकार मुख्य रूप से समान हैं तथा दोनों प्रकरणों की विषयवस्तु / विवाद्यक /अनुतोष समान प्रकृति के है। साथ पूर्ववर्ती प्रकरण/अपील संख्या 89/1984 दिनांक 22.02.1984 को निर्णित किया जा चुका हैं साथ ही पूर्ववर्ती प्रकरण/अपील के अनुतोष एवं हस्तगत पश्चात्पूर्ती प्रकरण/ वाद के अनुतोष को प्रदान करने में हाजा न्यायालय सक्षम है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि वादीनी के हस्तगत प्रकरण/वाद का हाजा न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्णयन किया जा चुका हैं तथा पुनः हाजा न्यायालय में ही वादीनी द्वारा प्रकरण/वाद पत्र संस्थित किया हैं जो कि विधि की प्रचलित मंशा के अनुरूप नहीं हैं। धारा 11 रेस- ज्यूडिकेट के समस्त बिन्दु हस्तगत प्रकरण में हूबहू घस्पा होते हैं। वाद चलने योग्य नहीं है।

5. धारा 14 - हिन्दु नारी की सम्पत्ति आत्यन्तिकतः अपनी सम्पत्ति होगी - (1) हिन्दु नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वादीनी की माता हेमीदेवी से प्रतिवादी संख्या 01 के पिताजी स्व० अचलाराम ने वसीयत के जरिये कब्जा व हक प्राप्त किया है। हेमीदेवी ने अपने जीवन काल में ही सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 01 के पिताजी स्व० अचलाराम के नाम करा दी है। हेमीदेवी के नाम प्राप्त सम्पत्ति स्वःअर्जित मानी जायेगी। जो स्वःअर्जित वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण भूमि स्व० हेमी पत्नी वागाराम हिन्दु महिला के नाम से थी जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की की श्रेणी में आती है इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादनी की पैतृक व पुस्तैनी नहीं है। महिला से स्वःअर्जित सम्पत्ति प्राप्त में किसी भी अधिकार नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि स्वःअर्जित सम्पत्ति में वादीनी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है।



सहायक कलक्टर
(SDO) धारीमन्ना

उपर्युक्त समग्र विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम खारी नया गांव भारते की बेरी के खसरा संख्या 160, 161 में 1. वादीनी को वाद कारण नामान्तकरण अपील के समय दिनांक 16.07.1984 को हो गया। वाद सन् 2021 में वाद पेश किया है जो वाद करीबन 37 वर्ष बाद पेश किया है वाद में बिना सहमति नामान्तकरण पारीत होने की बात गलत अंकित है क्योंकि वाद में सहमति से नामान्तकरण अपील को विद्धो की है। वाद में अपील का हवाला नहीं दिया है। इसलिए वादीनी को हस्तगत वाद लाने हेतुक प्रकट नहीं होता है। 2. ईकरारनामा व वसीयतनामा निरस्त करवाये बिना हस्तगत वाद हाजा में चलने योग्य नहीं है इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित है। वाद हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है, वाद सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का आता है। 3. वादीनी का मौके पर कब्जा काशत नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। 4. वादीनी के हस्तगत प्रकरण/वाद का हाजा न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्णयन किया जा चुका है तथा पुनः हाजा न्यायालय में ही वादीनी द्वारा प्रकरण/वाद पत्र संस्थित किया है जो कि विधि की प्रचलित मंशा के अनुरूप नहीं है। धारा 11 रेस- ज्यूडिकेट के समस्त बिन्दु हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं वाद चलने योग्य नहीं है। 5. स्वःअर्जित सम्पत्ति में वादीनी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, 10 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते वाद पत्र नामंजूर करने का भली-भांति साबित होने, विधि अनुरूप होने, एवं सारवान होने से स्वीकार करना किया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते हैं तथा वाद पत्र खारीज करना विधिसंगत व उचित समझते हैं। तद अनुसार डिक्री पर्चा जारी करना उचित व विधिसंगत समझते हैं।

— : आदेश : —

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11, 10 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते वाद पत्र नामंजूर करने वादग्रस्त आराजी ग्राम खारी नया गांव भारते की बेरी के खसरा संख्या 160, 161 में 1. वादीनी को वाद कारण नामान्तकरण अपील के समय दिनांक 16.07.1984 को हो गया। वाद सन् 2021 में वाद पेश किया है जो वाद करीबन 37 वर्ष बाद पेश किया है वाद में बिना सहमति नामान्तकरण पारीत होने की बात गलत अंकित है क्योंकि



सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

ईकरारनामा व वसीयतनामा निरस्त करवाये बिना हस्तगत वाद हाजा में चलने योग्य नहीं हैं इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं। वाद हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है, वाद सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का आता हैं। 3.वादीनी का मौके पर कब्जा कारत नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। 4. वादीनी के हस्तगत प्रकरण/वाद का हाजा न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्णयन किया जा चुका हैं तथा पुनः हाजा न्यायालय में ही वादीनी द्वारा प्रकरण/वाद पत्र संस्थित किया हैं जो कि विधि की प्रचलित मंशा के अनुरूप नहीं हैं। धारा 11 रेस-ज्यूडिकेटा के समस्त बिन्दु हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं वाद चलने योग्य नहीं है। 5. स्वअर्जित सम्पत्ति में वादीनी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र भली-भांति साबित होने, विधि अनुरूप होने, एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। हस्तगत वाद पत्र खारीज /नामंजुर किया जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

(धारेन्द्रसिंह) कलक्टर
सहायक कलक्टर धोरीमन्ना
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला-बाड़मेर)

(धारेन्द्रसिंह) कलक्टर
सहायक कलक्टर धोरीमन्ना
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला-बाड़मेर)

डिक्री बमुकदमें इक्तादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम घोरीमन्ना
बईजलास :- श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. मिरगों पुत्री मदा पत्नि बागाराम रथाई निवासी मिठड़ा खुर्द अभि हाल हरदानपुरा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।		1. जुंजाराम पुत्र श्री अचलाराम 2. बावुराम पुत्र अचलाराम 3. हिमथाराम पुत्र अचलाराम 4. खेतु बैवा अचलराम जाति जाट निवासी मिठड़ा खुर्द नया राजस्व गांव लोलो कीबेरी तहसील घोरीमना। 5. जोधा पुत्र खेराजराम 6. लुम्मा पुत्र खेराज 7. हुकमा पुत्र खेराज 8. हरखू पत्नी खेराज 9. हरिया देवी पत्नी अशोककुमार 10. टाकरा पुत्र रूखमणा 11. भैरा पुत्र रूखमणा 12. मेघा पुत्र रूखमणा जाति जाट निवासी भारते की बेरी, खारी तहसील घोरीमना जिला बाड़मेर। 13. तहसीलदार साहब घोरीमना।

मुकदमा नम्बर :- 55/2021

दावा बाबत :- राजस्व वाद राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,40,53,91,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अधिवक्तागण:-

1. श्री बलवन्तसिंह चौधरी अधिवक्ता वादीनी / अप्रार्थीनी
2. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 / प्रार्थी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू-ब-रू, अधिवक्ता वादीनी मिनजानिब मुदई एवं मिनजानिब मुद्दायलह प्रतिवादी गण पेश होकर हुकम दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11, 10 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते वाद पत्र नामंजूर करने वादग्रस्त आराजी ग्राम खारी नया गांव भारते की बेरी के खसरा संख्या 160, 161 में 1. वादीनी को वाद कारण नामान्तरण अपील के समय दिनांक 16.07.1984 को हो गया। वाद सन् 2021 में वाद पेश किया है जो वाद करीबन 37 वर्ष बाद पेश किया है वाद में बिना सहमति नामान्तरण पारीत होने की बात गलत अंकित है क्योंकि बाद में सहमति से नामान्तरण अपील को विद्धो की है। वाद में अपील का हवाला नहीं दिया है। इसलिए वादीनी को हस्तगत वाद लाने हेतुक प्रकट नहीं होता।

2. ईकरारनामा व वसीयतनामा निरस्त करवाये बिना हस्तगत वाद हाजा में चलने योग्य नहीं हैं इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं। वाद हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व



✓
सहायक कलक्टर
(SDO) घोरीमन्ना

श्रवणाधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है, वाद सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का आता है। 3. वादीनी का मौके पर कब्जा काशत नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। 4. वादीनी के हस्तगत प्रकरण/वाद का हाजा न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्णयन किया जा चुका है तथा पुनः हाजा न्यायालय में ही वादीनी द्वारा प्रकरण/वाद पत्र संस्थित किया है जो कि विधि की प्रचलित मंशा के अनुरूप नहीं है। धारा 11 रेस- ज्यूडिकेटा के समस्त बिन्दु हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं वाद चलने योग्य नहीं है। 5. स्व:अर्जित सम्पत्ति में वादीनी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र भली-भांति साबित होने, विधि अनुरूप होने, एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। हस्तगत वाद पत्र खारीज /नामंजुर किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर जमा हो।

नीज.....-.....मुबलिक.....-.....बाबत्.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.05.2024 को सरे ईजलास जारी किया गया।



(धीरेन्द्रसिंह) कलक्टर
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, घोरीमन्ना
(जिला-बाड़मेर)